मुक्त पाठ्य सामग्री

2016-17

हिंदी

'अ' (002) एवं 'ब' (085)

कक्षा

नौंवी

विषय पृष्ठ

1. समावेशी शिक्षा एक चुनौती 1

2. स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का योगदान 11

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय भवन, प्रीत विहार,

दिल्ली - 110092, भारत

मुक्त पाठ्य सामग्री 2016-17

हिंदी 'अ' (002) एवं 'ब' (085) कक्षा - नौंवी

विषय 1: समावेशी शिक्षा एक चुनौती

अधिगम उद्देश्य

'समावेशी शिक्षा एक चुनौती' पर आधारित मुक्त पाठ्य सामग्री के अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी :

1. समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व को समझ सकेंगे।
2. समाज में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु प्रेरित हो सकेंगे।
3. में अपेक्षित संवेदनशीलता का विकास हो सकेगा।
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपना सहयोग देंगे।
5. सुगम्य भारत अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपना योगदान दे सकेंगे।

पाठक के लिए टिप्पणी

"समावेशी शिक्षा एक चुनौती" विषय के अन्तर्गत इस मुक्त पाठ्य सामग्री में समावेशी शिक्षा के महत्त्व एवं आवश्यकता पर तत्थ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिससे शिक्षार्थी अपने परिवार, अपने शिक्षकों तथा सहपाठियों से इस विषय पर चर्चा करेंगे। शिक्षार्थियों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता का विकास हो सकेगा। शिक्षकों को चाहिए कि वे इस विषय में कक्षा में चर्चा करें ताकि समाज में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बन सके। जिससे हर एक विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को विकसित होने का पूर्ण अवसर मिल सके। वे घर की चारदीवारी में कैद होकर न रहें, उन्हें सहपाठियों, परिवार और समाज का भरपूर समर्थन व सहयोग मिले।

मुक्त पाठ्य सामग्री 2016-17

हिंदी 'अ' (002) एवं 'ब' (085) कक्षा - नौंवी

विषय 1: समावेशी शिक्षा एक चुनौती

केस स्टडी

रमेश एक दृष्टिबाधित बालक है। उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। रमेश के पिता ने उसके दाखिले के लिए कई विद्यालयों में संपर्क किया लेकिन सभी विद्यालयों ने उन्हें यही सलाह दी कि पास के शहर में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अलग से विद्यालय है, जहां केवल दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां पर रमेश का दाखिला कराया जाना चाहिए। लेकिन रमेश के पिता चाहते थे कि उनका बेटा सामान्य विद्यालय में ही अधययन करे, इसलिए उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी। आखिर एक प्राचार्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया और रमेश को अपने विद्यालय में दाखिला दिया। प्राचार्य ने सभी शिक्षकों को समझाया कि रमेश को सभी बच्चों के साथ अधययन कराया जावे तथा उसके साथ अन्य बच्चों के जैसा ही व्यवहार किया जाए। शिक्षकों ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। रमेश को कक्षा में पहली बेंच पर रोहन के साथ बिठाया गया। रोहन जल्दी ही समझ गया कि रमेश देख नहीं सकता लेकिन वह सुनकर बातों को याद रख पाता है। रोहन ने रमेश की इस खूबी को समझकर अतिरिक्त समय में रमेश को पाठ पढ़कर सुनाना प्रारंभ किया। प्राचार्य ने कुछ दिनों के बाद एक ब्रेल भाषा "ब्रेल दृष्टिबाधित बच्चों की भाषा है जिसे वे छूकर पढ़ सकते हैं" प्रशिक्षक से अनुरोध किया कि कुछ अतिरिक्त समय देकर रमेश को ब्रेल सिखा दिया करें। रमेश ने जल्दी ही ब्रेल सीख ली। अभिभावकों ने रमेश की सारी पुस्तके ब्रेल भाषा में मंगवा दीं। अब रमेश किसी सामन्य बच्चे की भांति ही अपने पाठ पढ़ लेता है।

रमेश के उदाहरण से समावेशित शिक्षा का अर्थ, इसमें आने वाली मुश्किलें और उन मुश्किलों से पार पाने के तरीकों को आसानी से समझा जा सकता है। कोई भी बात आगे करने से पहले यह समझ लें कि रमेश की दृष्टिबाधिता के कारण उसकी अधययन संबंधी आवश्यकताऐं कुछ भिन्न हैं, जैसे अन्य बच्चों की तरह वह देखकर पढ़ाई नहीं कर सकता लेकिन सुनकर एवं छूकर वह बहुत कुछ सीख सकता है। इस तरह से उसकी आवश्यकता अन्य बच्चों से भिन्न है अत: रमेश और रमेश जैसे अन्य बच्चों को 'विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी' कहा जाता है। इसी तरह से कुछ बच्चों को सुनने की समस्या होती है, कुछ के हाथ-पैर में कुछ विकृति होती है, कुछ का विकास पिछड़ा हुआ होता है तो कुछ को सीखने संबंधी कुछ खास कठिनाइयां होती हैं। इन सभी तरह की कठिनाइयों के कारण उनके सीखने के तरीकों में भिन्नता होती है। हर एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी की समस्या और उसके सीखने का तरीका

भिन्न हो सकता है। इन भिन्नताओं के बाद भी उन्हें सबके साथ सामान्य वातावरण में शिक्षा देना ही सही मायनों में समावेशित शिक्षा है। **(यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नि:शक्त, विकलांग, भिन्न क्षमता वाले बच्चे, दिव्यांग जैसे शब्द प्रचलित हैं। 'दिव्यांग' एक सर्वाधिक नवीन पद है जो इन बच्चों के लिए प्रचलन में आना प्रारंभ हुआ है)**

यह सच है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुछ अलग से विशेष विद्यालय होते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जितनी बढ़ी संख्या में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उतनी संख्या में विशेष विद्यालय नहीं हैं। जनगणना के नये आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2001 में नि:शक्तजनों की तादाद देश की कुल आबादी में 2.13 फीसदी थी जो साल 2011 में बढ़कर 2.21 फीसदी हो गई। नए आंकड़ों के मुताबिक नि:शक्त जनों की कुल संख्या (2.68 करोड़) का 69.5 फीसदी हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। साल 2001 की जनगणना के आंकड़ों में कहा गया था कि देश के कुल नि:शक्त जनों की 75 फीसदी तादाद ग्रामीण इलाके में रहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक नि:शक्त जनों में महिलाओं की संख्या 44.1 फीसदी है। साल 2001 से 2011 के बीच महिला निशक्त जनों की संख्या में 27.1 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि पुरुष नि:शक्त जनों की संख्या में 18.9 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। एक और बड़ा सच यह भी है कि विशेष विद्यालयों में इन बच्चों को अपने ही जैसी कठिनाइयों वाले बच्चों के साथ रहना होता है, जबकि कई शोध अध्ययनों में यह सिद्ध हुआ है कि यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ ही अध्ययन करते हैं तो उनके विकास की ज्यादा संभावनाएँ हैं। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर सामान्य रूप से पढ़ाया जाता है, ताकि सामान्य बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में कोई भेदभाव न रहे तथा दोनों तरह के विद्यार्थी एक-दूसरे को ठीक ढंग से समझते हुए आपसी सहयोग से पठन-पाठन के कार्य को कर सकें। समावेशी शिक्षा का एक व्यापक लक्ष्य यह भी प्रतीत होता है कि एक साथ शिक्षित होने पर भविष्य में समाज के अन्दर विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के सरोकारों को आम लोग बेहतर ढंग से समझ सकें तथा उनमें उनके प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता का विकास हो सके। हमारा संविधान भी जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यरकता है, जिससे स्कूल में बच्चे के

समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई) अधिनियम-2009 में भी 6 से 14 वर्ष की आयु वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। इस तरह से समावेशित शिक्षा ही श्रेष्ठ विकल्प के रूप में हमारे सम्मुख है।

समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य जीवन जीने और रोज़मर्रा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका प्रदान कर उनके समाजीकरण और कौशल को बढ़ा सकती है। उन्हें अपने हमउम्र विद्यार्थियों के साथ सामान्य संबंध बनाने का भी अवसर देती है। यह शिक्षा उन्हें यह अहसास करा सकती है कि वे भी समाज का हिस्सा हैं। समावेशित शिक्षा सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ही जरूरत नहीं है, वह एक सामान्य बच्चे का व्यकितत्व विकास भी कर सकती है, यह शिक्षा सामान्य बच्चों में धैर्य, क्षमा, सहयोग, सहिष्णुता निस्वार्थता जैसे उच्च मानवीय गुणों की वृद्धि में सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षक द्वारा एक विशेष बच्चे को धैर्यपूर्वक पढ़ाते हुए देखकर सामान्य बच्चा धैर्य व सहिष्णुता के महत्व को समझ सकता है, या कभी विशेष बच्चे को सीखने में मदद करने से उसके सामान्य साथी में सहयोग की भावना का विकास हो सकता है। समावेशन उन्हें सिखा सकता है कि विविधता को कैसे स्वीकार करना है। भारत में समावेशित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा 'कुछ के लिए' से 'सभी के लिए' की ओर बढ़ रही है।

हमारे देश में कानूनी रूप से स्वीकृत विशेष आवश्यकताओं का वर्णन नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 और स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मंदबुद्धि और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 में किया गया है। ये विशेष आवश्यकताएं हैं-

1. **दृष्टिबाधित (Blindness)** उस व्यक्ति के प्रति निर्देश करता है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित है अर्थात-
   i. दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव या
   ii. सुधारक लेन्सों के साथ बेहतर आँख में 6/60 या 20/200 स्नेलन से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता
   iii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा का 20 डिग्री के कोण के कक्षांतकारी होना या अधिक खराब होना।

2. **कम दृष्टि वाला व्यक्ति (Low vision)** से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार संशोधन के बावजूद दृष्टि-संबंधी कृत्य का ह्रास हो गया हो और जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हैं या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ रहा हैं।

3. **कुष्ठ रोग से मुक्त (leprosy cured)** व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है किन्तु निम्नलिखित से ग्रसित है:-

   i. जिसके हाथ या पैरों में संवेदना की कमी तथा नेत्र और पलकों में संवेदना की कमी और आंशिक घात है किन्तु कोई प्रकट विरूपता नहीं है।

   ii. प्रकट विकलांगता ग्रस्त ओर आंशिक घात है किन्तु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वे सामान्य आर्थिक क्रिया कलाप कर सकते है।

   iii. अत्यन्त शारीरिक विरूपांगता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो उन्हें कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है और कुष्ठ रोग से मुक्त पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।

4. **श्रवण ह्रास (hearing impairment)** से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कान में 60 डेसीबल या अधिक की हानि।

5. **चलन नि:शक्तता (loco motor disability)** से हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की कोई ऐसी नि:शक्तता अभिप्रेत है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो।

6. **मानसिक मंदता (Mental retardation)** से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था है जो विशेष रूप से सामान्य बुद्धिमत्ता की असामन्यता द्वारा प्रकट होती है, अभिप्रेत है।

7. **मानसिक रूग्णता (Mental illness)** "मानसिक रूग्णता" से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार अभिप्रेत है।

8. **स्वलीनता (Autism)** का अर्थ है एक असमान योग्यता विकास की स्थिति, जो मुख्यत: व्यक्ति के बातचीत तथा सामाजिक क्षमताओं को प्रभावित करती है, जिसे पुनरावृत्ति तथा रूढ़ीयुक्त व्यवहार के जरिए पहचाना जा सकता है; मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के

सामाजिक व्यवहार और संप्रेषण को प्रभावित करता है। हिन्दी में इसे 'आत्मविमोह' और 'स्वपरायणता' भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति, सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है जैसे एक ही काम को बार-बार दोहराना।

9. **प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (cerebral palsy)** का अर्थ है किसी व्यक्ति की प्रगति विहीन स्थितियां, जिसमें जन्म पूर्व या शिशु अवस्था में हुए मस्तिष्क आघात के कारण उत्पन्न असामान्य मोटर कंट्रोल तथा मुद्रा दिखाई पड़ती हैं। मस्तिष्क पक्षाघात मोटर तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है और आम तौर पर प्रारंभिक अवस्था या बचपन में प्रकट होता है।

10. **बहु-विकलांगता (Multiple Disabilities)** का अर्थ है दो या अधिक विकलांगता का मिश्रण, "बहु विकलांग व्यक्ति" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता या किसी दो या अधिक स्थितियों के मिश्रण का शिकार हो, तथा ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बहु-विकलांगता का शिकार हो।

इन दस विशेष आवश्कताओं के अतिरिक्त भी कई ऐसी विशेष आवश्यकताएँ हैं जिन पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। सीखने की नि:शक्तता (Learning Disability) इन्हीं में एक है। सीखने की नि:शक्तता से जूझ रहे बच्चे को पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, गणित के सवालों और सूत्रों को समझने, और सामान्य अवधारणाओं को समझने में कठिनाई आ सकती है। सीखने की नि:शक्तता में विकारों का एक समूह आता है जैसे डिस्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया. प्रत्येक किस्म का विकार दूसरे विकार के साथ मौजूद रह सकता है। अगर सीखने की नि:शक्तता का खयाल नहीं किया जाता, तो इन बच्चों का पीछे छूट जाने का खतरा है। उनका आत्मसम्मान कम होता जाता है, इसका बोझ बढ़ता जाता है, उनसे कमतर उम्मीदें रहती हैं, और अपने सपनों को पूरा करने की उनकी क्षमता का ह्रास होता जाता है।

समावेशन की चुनौती का सामना

इतने तरह की भिन्न भिन्न विशेष आवश्यकताओं को जान लेने के बाद अब प्रश्न यह है कि इतनी विविधताओं के साथ बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जा सकता है या नहीं? आमतौर पर उत्तर आता है-नहीं! क्योंकि जब भी समावेशन की बात आती है तो फिर सबसे बड़ी चुनौती हमारी यही

''**सोच**'' है कि बच्चे में यदि कोई नि:शक्तता है, तो उसे पृथक विद्यालय में भेजो। यदि हम अपनी इस सोच में परिवर्तन कर सकें, तो समावेशन को संभव बनाना इतना कठिन भी नहीं है। आइए कुछ उपायों पर चर्चा करते हैं जिनसे समावेशन को संभव किया जा सकता है:-

दृष्टिकोण में परिवर्तन : समावेशित शिक्षा को संभव बनाने के लिए सर्वप्रथम एक सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्राचार्य, शिक्षक, गैर शैक्षणिक कर्मचारी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अभिभावक, गैर नि:शक्त सहपाठी, गैर नि:शक्त सहपाठियों के अभिभावक सभी एकमत होकर यह तय करें कि मुश्किलों का सामना मिलकर करना है, तभी नि:शक्त बच्चों को गैर नि:शक्त बच्चों के साथ समावेशित किया जा सकेगा।

विद्यालय में बाधा रहित वातावरण : आमतौर पर देखा गया है कि विद्यालयों के प्रत्येक कक्ष प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय आदि तक वह बच्चा नहीं पहुंच पाता जो व्हीलचेयर या फिर ट्राइसाइकिल इस्तेमाल करता है। अत: समावेशी शिक्षा हेतु सर्वप्रथम उचित स्कूल भवन का प्रबंध जरूरी है इसके अलावा स्कूलों में आवश्यक साज-सामान तथा शैक्षिक सहायताओं का भी समुचित प्रबंध जरूरी है।

प्रवेश की नीति में परिवर्तन : विद्यालय के दरवाजे सभी के लिए खुले होने चाहिए, नि:शक्तता के आधार पर किसी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को आम जन तक पहुँचाने हेतु विद्यालय के दाखिले की नीति में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए।

पाठ्यक्रम का निर्धारण : विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन बच्चों को विषय चयन करने में रियायतें प्रदान की हैं। जैसे जिन बच्चों को भाषा संबंधी समस्याएँ हैं उन्हें दो के स्थान पर एक भाषा पढ़ने की छूट है। कुछ खास विषय जैसे गणित या विज्ञान में समस्या होने पर विषय परिवर्तन की छूट प्रदान की गई है। विद्यालय इन सुविधाओं का लाभ आवश्यकतानुसार बच्चे को दिलाकर उन्हें सहयोग कर सकते हैं।

नई तकनीक का प्रयोग : रीडिंग साफ्टवेयर युक्त कम्प्यूटर, ई-बुक, आडियो बुक, स्क्रीन पर फोंट साइज बढ़ाने की सुविधाओं, जैसी कई छोटी-छोटी सुविधाएँ जो नई तकनीकी ने उपलब्ध कराई हैं, का उपयोग समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन हेतु किया जा सकता है। इसी प्रकार से शारीरिक समस्या से पीड़ित बच्चों के लिए नई तकनीकी से युक्त कृत्रिम अंग सहयोगी हो सकते हैं। नए तरह के श्रवण यंत्र उच्च गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं उनका उपयोग किया जा सकता है।

विशेषज्ञीय सेवाएँ : आमतौर पर सामान्य शिक्षकों के मन में यह धारणा होती है कि नि:शक्त बच्चों को केवल विशेष शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं। किंतु प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक नियुक्त कर उसकी मदद से शैक्षणिक रणनीतियां एवं लक्ष्य तय किए जा सकते हैं, और सामान्य शिक्षक भी अपनी कक्षा में इन बच्चों का समावेशन कर सकते हैं। विद्यालयों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति का प्रावधान होता है। एक कुशल मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता बच्चे के व्यवहार सुधार कार्यक्रम को बनाने, लागू कराने में सहयोगी हो सकता है। साथ ही वह अभिभावक परामर्श के माध्यम से अभिभावकों का सहयोग समावेशन लागू करने में हासिल कर सकता है।

परीक्षा के दौरान विशेष प्रावधान : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा के दौरान कई सुविधाएँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाती हैं। जिनमें से मुख्य है परीक्षा के दौरान अतिरिक्त समय, लेखक की व्यवस्था, बढ़े अक्षरों वाले प्रश्न पत्र, दृष्टिबाधित बच्चों को वैकल्पिक प्रश्नपत्र, स्वलीनता वाले बच्चों के लिए एक वयस्क सहायक आदि की व्यवस्था है। विद्यालयों को, ये सुविधाएँ आवश्कतानुसार बच्चों को उपलब्ध करानी चाहिए।

शासन की अन्य योजनाएँ

- 'सुगम्य भारत अभियान' निस्संदेह सराहनीय पहल है। इस अभियान के तहत देश भर में अड़तालीस सौ महत्त्वपूर्ण इमारतों, सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, पचहत्तर रेलवे स्टेशनों, पच्चीस फीसदी सार्वजनिक बसों और तीन हजार जन-केंद्रित वेबसाइटों को अगले साल जुलाई तक विशेष आवश्यकता वाले लोगों के अनुकूल सेवाओं में बदलने का लक्ष्य तय किया गया है। अड़तालीस शहरों में कम से कम सौ महत्त्वपूर्ण इमारतों की जांच करके अगले साल के अंत तक उनमें सुगम्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का इरादा जताया गया है।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। उनके लिए अधिकतम आयु में छूट का भी प्रावधान है। सभी शासकीय शिक्षण संस्थाओं और सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में तीन प्रतिशत स्थान, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है।
- बस और ट्रेन में विशेष आवश्यकता वाले लोगों के अलावा उसके सहयोगी के लिए भी किराये में रियायत का प्रावधान है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डे, सार्वजनिक स्थानों, प्रतीक्षालयों और

शौचालयों आदि में इन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था के निर्देश हैं। इन स्थानों पर व्हील चेयर की उपलब्धता होनी चाहिए। साथ ही ब्रेल लिपि और ध्वनि संकेतों में सूचनाएं देने का प्रबंध भी होना चाहिए।

- **नि:शक्तत जनों के लिए राष्ट्रीय संस्थान:** देश की विशेष आवश्यकता वाले लोगों की आबादी की विभिन्न समस्याओं से कारगर तरीके से निपटने के लिए प्रत्येक श्रेणी के नि:शक्त जनों के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है :-

  1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून
  2. राष्ट्रीय अस्थिबाधितार्थ संस्थान, कोलकाता
  3. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलान्गार्थ संस्थान, मुंबई
  4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांगार्थ संस्थान, सिकंदराबाद
  5. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, कटक
  6. शारीरिक विकलांगार्थ संस्थान, नई दिल्ली
  7. राष्ट्रीय बहुव्याधी सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई

ये सभी संस्थान नई-नई खोजों और ऐसे लोगों की क्षमता में विकास से जुडे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेवा प्रदान करने जैसे कार्यक्रमों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। निशक्त्जनों के लिए देश के पांच समग्र क्षेत्रीय केंद्रों - श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, सुंदरनगर और गुवाहाटी में क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र हैं। ये केंद्र विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए निशक्त्जनों को व्यापक प्रशिक्षण देकर तथा उनके पुनर्वास में मदद करते है। रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण तथा हड्डियों एवं मांसपेशियों में विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त लोगों के लिए मोहाली, कटक, जबलपुर और बरेली में चार क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र ऐसे लोगों को बेहतर सेवाएं दे रहे हैं ताकि वे अपना जीवन आत्मसम्मान से जियें और दूसरों पर आश्रित न हों। कानपुर स्थित कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ए.एल.आई.एम.सी.ओ) सावर्जनिक क्षेत्र का निकाय है जो निशक्तकजनों के लिए सहायक उपकरण बनाने में संलग्न है। यहां तैयार किये जाने वाले उत्पादों को भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना जरूरी है। इन उत्पादों का विपणन क्षेत्रीय विपणन केंद्रों (कोलकाता, मुबंई, चेन्नई, भुवनेश्वर और दिल्ली) द्वारा किया जाता है।

दुनिया भर में सभी मनुष्य बराबर अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। इसलिए सभी बच्चों और युवाओं को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ शिक्षा का अधिकार है। यह ठीक है कि कई कारणों से कुछ विद्यार्थियों को अधिक ध्यान दिए जाने व प्रेरणा की जरूरत होती है। समावेशित शिक्षा की अवधारणा में ऐसी आदर्श कक्षा की कल्पना की गई है, जहाँ हर बच्चे की जरूरतों को पूरा किया जा सके जिसमें विशिष्ट आवश्यकताओं वालों बच्चे और युवा भी शामिल हैं। सामाजिक समावेशन विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का मौलिक अधिकार है, समावेशित शिक्षा उस दायित्व को पूरा करने का प्रयास है।

आदर्श प्रश्न

1. विभिन्न विशेष आवश्यकताओं के आधार पर उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं का वर्णन करें?
2. अधिगम अशक्तता (लर्निंग डिसेबिलिटी) की समस्या के समाधान के लिए अपने सुझाव दीजिए?

अंक योजना

उत्तर-1	उत्तर की रूपरेखा		मूल्य बिन्दु	अंक
	अवलोकन	तथ्यों का विश्लेषण	मूल्यांकन और विश्लेषण	03
	कारण	विभिन्न अशक्तताओं का उल्लेख	ज्ञान का प्रयोग	04
	सुझाव	शैक्षणिक आवश्यकताओं का प्रस्तुतीकरण	सृजन (नई बात बताना)	03
उत्तर-2	**उत्तर की रूपरेखा**		**मूल्य बिन्दु**	**अंक**
	अवलोकन	तथ्यों का विश्लेषण	मूल्यांकन और विश्लेषण	03
	कारण	अधिगम अशक्तता का उल्लेख,पढ़ाई से डर, क्लास में पिछड़ जाते हैं।	ज्ञान का प्रयोग	04
	सुझाव	मार्गदर्शन एवं परामर्शदाता की सहायता लेना, नवीन विचार प्रस्तुतीकरण	सृजन (नई बात बताना)	03

मुक्त पाठ्य सामग्री 2016-17

हिंदी 'अ' (002) एवं 'ब' (085) कक्षा - नौंवी

विषय 2: स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का योगदान

अधिगम उद्देश्य

'स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का योगदान' पर आधारित मुक्त पाठ्य सामग्री के अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी :

1. स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।
2. उन विशिष्ट क्षेत्रों और माध्यम का वर्णन कर सकेंगे जिनमें महिलाओं का योगदान रहा।
3. स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, इस मुद्दे पर चर्चा कर सकेंगे।

पाठकों के लिए टिप्पणी

नवीं के पाठ्यक्रम में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद महिलाओं की स्वाधीन सामाजिक स्थितियों की ओर बहुधा संकेत किया गया है। आज़ादी के जन्मसिद्ध अधिकार को पाने के लिए भारतीय महिलाओं ने सतत् संघर्ष किया और अपने आसपास के समाज को भी इसके लिए भरसक प्रेरित किया। पराधीन माहौल से देश की स्वाधीनता की ओर बढ़ने की संघर्षपूर्ण यात्रा के बारे में शिक्षार्थी जागरूक हों और स्वतंत्रता का महत्व समझें। स्वतंत्रता परत दर परत हासिल होती है और इसके लिए कई बलिदान देने पड़ते हैं। इसके कई मायने हैं। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही किसी देश का असली हासिल नहीं हो सकता, 'माटीवाली' स्वतंत्र होकर भी विपन्न जीवन क्यों जीती है, 'मेरे संग की औरतों' रचना आज़ादी के कई नए रूपों को हमारे सामने खोलती है। महादेवी इनाम में मिला चाँदी का कटोरा गांधी को क्यों दे देती हैं?

मुक्त पाठ्य सामग्री 2016-17

हिंदी 'अ' (002) एवं 'ब' (085) कक्षा - नौंवी

विषय 2: स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का योगदान

सारांश - भारतीय महिलाओं ने किसी भी युग में समाज और देश के हालात को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी कभी पर्दे के पीछे से तो कभी प्रकट रूप में महिलाओं के योगदान को सभी मनीषियों और इतिहासकारों ने सराहा है। यहाँ इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी दी जा रही है जिसकी सीमा को निश्चित करना असंभव है । स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में जिन गुमनाम औरतों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया उनके प्रति युवा पीढ़ी के उज्ज्वल मनोभाव जागें और वे विरासत में मिली इस स्वाधीनता की जी-जान से रक्षा कर सकें। माताओं, पत्नियों, बहनों, बेटियों के मौन-मुखर सहयोग को सराहने का भाव सहज ही विकसित हो।

और माँ ने कहा होगा,

दुख कितना बहा होगा,

आँख में किस लिए पानी,

वहाँ अच्छा है भवानी।

वह तुम्हारा मन समझ कर,

और अपनापन समझ कर,

गया है सो ठीक ही है,

यह तुम्हारी लीक ही है,

पाँव जो पीछे हटाता,

कोख को मेरी लजाता,

इस तरह होओ न कच्चे,

रो पडेंगे और बच्चे

संदर्भ - भवानी प्रसाद मिश्र

भारत के स्वाधीनता आंदोलन में देश भर की ललनाओं ने इसी प्रकार परिवार और बच्चों के मनोबल को ऊँचा और अड़िग रखा। उपर्युक्त पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र की माँ का वर्णन है। रामप्रसाद बिस्मिल

जब स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी के लिए लखनऊ कांग्रेस जाना चाह रहे तो परिवार के विरोध के बावजूद माँ ने ही उन्हें सेवा-समिति में सहयोग के लिए भेज दिया। पिताजी और दादीजी की डाँट के बाद भी माँ के कारण ही उनका उत्साह और साहस बना रहा। माँ के प्रोत्साहन से ही संकट की घड़ी में भी वे स्वाधीनता की राह पर अटल रहने का संकल्प पूरा कर पाए। देश की सेवा और क्रांतिकारी जीवन का पहला पाठ माँ की गोद में ही प्राप्त होता है ।

भारत की स्वाधीनता के क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास सन् 1757 ई. में प्लासी के मैदान से प्रारंभ होता है । लगभग दो सौ वर्षों के संघर्ष के उपरांत यह आंदोलन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समारोह के साथ परवान चढ़ता है। स्वाधीनता आंदोलन की यह धारा कभी धीमी, कभी तेज, कभी खुलकर तो कभी भूमिगत होकर निरंतर दो सदियों तक देश की रग-रग में बहती रही। प्लासी के युद्ध से जो असंतोष की धारा बही, वह सन् 1946-47 के नौसैनिक विद्रोह तक आंदोलन के बदलते पहलुओं को पार करती हुई अग्रसर होती रही। सन् 1757 से सन् 1857 के अंतराल में भारत के भिन्न भागों में असंतोष के फलस्वरूप कभी विद्रोह, कभी संग्राम तो कभी आंदोलन होते ही रहे। इन संघर्षों में भारतीय ललनाओं ने अधिकतर रीढ़ की हड्डी की तरह सदैव योगदान दिया। बहुधा उन्होंने आंदोलन का प्रमुख स्वर बनकर भी अंग्रेजों की सत्ता को बारंबार ललकारा।

कर्नाटक के बेलारी जिले में लगभग ड़ेढ सौ वर्ष पहले कित्तूर एक स्वतंत्र रियासत थी। स्वाधीनता की ज्वलंत चिंगारी यहाँ रानी **चेन्नमा** के रूप में प्रकट हुई। अंग्रेजों ने संतानहीन राजाओं की रियासतें अंग्रेजी राज्य में मिलाने का नियम बनाया तो चेन्नमा ने गुलामी के जन्मदाता नियम का विरोध किया।

रानी ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की तैयारियाँ शुरू हुई । कित्तूर में 72 दुर्ग थे। सब पर तोपें चढ़ा दी गई। अपने राज्य की रक्षा के लिए बच्चा-बच्चा लड़ने की तैयारी में मशगूल हो गया। 20 नवंबर सन् 1828 की प्रात: जब अंग्रेजों ने नगर को घेर लिया तो रानी की आज्ञा से सभी नगरवासी दुर्ग के भीतर इकट्ठे हो चुके थे। रानी चुनिंदा योद्धाओं को लेकर युद्ध के लिए निकली और अंग्रजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कुछ महीने युद्ध करने के पश्चात अंग्रेजों ने गुप्तचरों के माध्यम से देशद्रोहियों को फँसाकर रानी को कैद कर लिया । बीमार रानी ने 21फरवरी 1829 को आँखें मूंद लीं। कित्तूर की रानी चेन्नमा ने स्वदेश की रक्षा करते हुए मातृभूमि की बलिवेदी पर प्राणों को होम कर दिया।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देशी रियासतों को गुलाम बनाना शुरू किया तो बेगम हजरत महल त्याग, निष्ठा और परोपकार की मूर्ति बनकर उभरी। देश के प्रति प्रेम और समाज में सबके दुख-दर्द को समझ उसका

निदान करने को वे सदा तत्पर रहीं। अंग्रेजों ने जब लखनऊ(अवध) के नवाब वाजिद अली शाह को अपने अधीन करने के लिए संधिपत्र पर हस्ताक्षर करवाने चाहे तो बेगम ने यह कार्य न होने दिया। 13 फरवरी 1856ई. को जब देशी रियासतें मज़बूरी में अधीनता स्वीकार कर रही थीं तो वाजिद अलीशाह अपना महल छोड़ कलकत्ता चले गए। किंतु **बेगम हजरत महल** क्रांतिकारियों के सहयोग हेतु आगे बढ़ीं। अपने ग्यारह वर्ष के शहजादे **बिरजिसकदर** को नवाब घोषित किया और अंग्रेजी शासन की गुलामी की जंजीरों को ललकारा । उनका समूचा व्यक्तित्व आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध था। उन्होंने कहा – ''अवध के रइसों, सामंतों तालुकेदारों !..... हमें मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए।'' रियासत का कामकाज उन्होंने अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की घोषणा कर दी। बेगम हजरत महल ने 4 जुलाई 1857 को अंग्रेजी फौजों से मोर्चा लिया। सितंबर 1857 ई. तक बेगम सैनिकों को साथ लेकर दिन-रात युद्ध करती रहीं। लखनऊ की औरतें भी अंग्रेजों से जी-जान से लड़ीं। 16 मार्च 1858ई. को अंग्रेजी फौजें केसर बाग में घुस आई और वहाँ अनगिनत देशभक्तों को काल की भेंट चढ़ा दिया। बेगम के दुश्मनों और विरोधियों ने अंग्रेजों के प्रलोभन में फँसकर बेगम को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचा किंतु बेगम भूमिगत होकर नेपाल के सघन जंगलों में चली गई। वतन की आन और मान की रक्षा के लिए अनंत दुख-कष्ट झेलते हुए भारत की यह वीरांगना अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई।

नृत्य और संगीत की नायिका अजीजन बाई को कुछ लोग **हुसैनी बेगम** के नाम से जानते हैं। पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की पुकार सुनकर अजीजन ने नृत्य और संगीत की झंकार को क्रांति की चिंगारियों में बदल दिया। सन् 1857ई. के स्वतंत्रता संग्राम में अजीजन कंधों पर बंदूक और हाथ में तलवार ले नाना साहब पेशवा के सिपाही के रूप में अपना कर्तव्य निभाने को कटिबद्ध हो गई। सन् 1857 ई. के कानपुर विद्रोह में अजीजन घोड़े पर सवार जनरल हैवलॉक की तोपों का मुकाबला करती हुई, अंग्रेजों की विशाल सैन्य शक्ति से खूब लड़ी। अंततः हैवलॉक की गोलियों से उसके प्राणों की डोर टूट गई।

बेगम आलिया एक साहसी और दूरदर्शी महिला थी। उसने अद्भुत कारनामों से ब्रिटिश राज्य के हुक्मरानों को चुनौती देकर अप्रतिम साहस का परिचय दिया। अवध को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने हेतु उन्होंने ज़मींदारों और नवाबों को पैगाम देकर क्रांति के लिए उत्साहित किया। सभी जाति, वर्ग , संप्रदाय आदि का भेद भुलाकर उन्होंने सबसे बगावत के लिए सहयोग प्राप्त किया। अपने क्रांतिकारी संगठन में महल की बांदियों-सहेलियों सबको शामिल किया। उनकी दूरदर्शिता इतनी पैनी थी कि उन्होंने महिला

जासूसों का भी संगठन बनाया। उनकी सैन्य वाहिनी के गुप्तचर ब्रिटिश शासन की गुप्त षड्यंत्रकारी युद्ध संबंधी योजनाओं का पता लगाते। महिला गुप्तचरों से प्राप्त भेदों के माध्यम से बेगम आलिया ने समय-समय पर ब्रिटिश सैनिकों से युद्ध कर, उन्हें कई बार अवध से खदेड़ा। इतिहासकारों के अनुसार बेगम आलिया सन् 1857 ई. से लेकर सन् 1858 ई. के दौरान ब्रिटिश सैनिकों से दिन-रात संघर्ष करती रहीं।

बुदरी की क्षत्राणी और अमरचंद बंठियाँ ने बुदरी के आसपास के हलकों-कस्बों में स्वतंत्रता की मशाल को जगाए रखा अपने कोषागार से धन-संपत्ति देकर विद्रोहियों के शस्त्र-निर्माण में खूब योगदान दिया। घायल भारतीय सिपाहियों की चिकित्सा का भी निरंतर प्रबंध किया। तलवार उठाए बिना ही बुदरी की क्षत्राणी ने अपना सर्वस्व स्वाधीनता के लिए समर्पित कर दिया।

अनूप शहर की **चौहान रानी** ने भी क्रांतिकारी पत्र-व्यवहार और गुप्त दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान द्वारा अपने यहाँ कभी ब्रिटिश हुकूमत के पाँव जमने नहीं दिए। उन्होंने अनूपशहर के थाने से यूनियन जैक को उतार कर वहाँ अपना झंडा लहरा दिया। सन् 1858 के अगस्त महीने तक रानी का संघर्ष जारी रहा।

भारतवर्ष की वीरांगनाओं में **रानी लक्ष्मीबाई** अद्वितीय वीरांगना थी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के दाँत खट्टे करते हुए, स्वयं को मातृभूमि की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। सिंहनी की दहाड़ और **माँ दुर्गा** की शक्ति से ओतप्रोत हो वे रणक्षेत्र में कूद पड़ीं और अंग्रेजों के शासन की जड़ें हिला दी। अंग्रेज उनसे इतने भयभीत हुए कि झाँसी को अपने राज्य में मिलाने के नए-नए हथकंडे ढूँढने लगे।

रानी लक्ष्मीबाई की अनुगामी झलकारी ने ब्रिटिश हुकूमत के विरूद्ध तलवार उठाकर क्रांति का झंझावात उपस्थित कर दिया। सन् 1857 ई. मार्च के तीसरे सप्ताह जब ब्रिटिश फौजियों ने झाँसी को चारों ओर से घेर लिया तो सेविका झलकारी ने झाँसी की रानी का स्वाँग धरकर ब्रिटिश फौज को खूब भरमाया, उतनी देर में लक्ष्मीबाई कालपी पहुँच गई । झलकारी ने लक्ष्मीबाई की पोशाक पहन, अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर ब्रिटिश सैनिकों को व्यस्त रखा। अपनी वीरता और साहस के बलबूते मातृभूमि की भक्ति और स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में वह अपना नाम अमर कर गई।

ब्रिटिश हुकूमत को धूल चटाने के कारण **तुलसीपुर की रानी** का नाम भी आज गौरव से लिया जाता है। गोंडा से चालीस किलोमीटर दूर तुलसीपुर की रियासत में जब होपग्रांट अपनी सेना लेकर आया तो रानी ने ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष कर अपनी तलवार आजमाई। रानी को पराजय का मुख देखना पड़ा पर उनका स्वाभिमान नहीं हारा। पता नहीं चल पाया कि रानी की अंग्रेजों ने हत्या कर दी या वे नेपाल की ओर

चली गई। बहादुरशाह जफर की **बेगम जीनत महल**, बेटी **बस्ती बेगम** और उनकी सहेलियाँ **गुलशन** और **गुलनार** ने भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। बेगम हजरत महल की सेना में शामिल **रहीमी** ने भी अंगारा बनकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला को जागृत रखा। वह क्रांतिकारी संगठन की नारियों को एकत्रित करती। रोटी और कमल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कई नगरों, गाँवों और कस्बों में क्रांति का प्रचार करने जाती। अंग्रेजी फौजों के शिविर में बहुरूपिया बनकर जाती और वहाँ शामिल भारतीयों में भी क्रांति की चेतना जागृत करती। रहीमी की गिरफ्तारी का वारंट निकाल उसे गिरफ्तार कर ब्रिटिश न्यायालय ने उसे फाँसी की सज़ा सुना दी। **हैदरी** भी बेगम हजरत महल की सेना में शामिल हुई और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी योजनाएँ बनाई। नाना पेशवा की सहासी **पुत्री मैनाबाई** ने भी अपने ही तरीके से अंग्रेजों के अन्याय का विरोध कर देशवासियों में स्वतंत्रता की आस को जगाए रखा।

मध्य भारत से **जैतपुर की रानी** ने चंडिका बनकर अपनी रियासत की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। अंग्रेजों और राजा परीक्षित में जो गुलामी की संधि हुई रानी ने राजा परीक्षित के मरणोपरांत उसका विरोध किया और अपने स्वतंत्र कार्यों पर अंग्रेजों का अंकुश न लगने दिया। जैतपुर की स्वतंत्र घोषित रियासत की सहायता हेतु **तेजपुर की रानी** भी सहयोगी बनकर आगे आई। दतिया के कई क्रांतिकारी भी जैतपुर पहुँचे । सभी देशभक्तों ने अंग्रेजों से कई बार मोर्चा लिया। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति विशाल थी, अंततः गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझती रानी समय की धारा में विलीन हो गई।

केवल राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने से देश का समुचित विकास न हो सकेगा इस तथ्य को महसूस करने वाली स्त्रियों में **सावित्री बाई फुले** और उनकी बेटी **ताराबाई शिंदे** का नाम अग्रणी है।

1840 से 1890 तक सावित्री बाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूर-देहात के इलाकों तक लड़कियों में शिक्षा की अलख जगाई। ताराबाई शिंदे ने सत्यशोधक समाज से जुड़कर अस्पृश्यता, बाल-विवाह और विधवा-दमन जैसे समाज सुधार के आंदोलनों में शामिल होकर देश को सामाजिक मुक्ति की राह पर अग्रसर किया। इन आंदोलनों के फलस्वरूप आगे स्त्रियाँ बड़ी संख्या में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ीं।

24 अक्तूबर को आयरलैंड में जन्मी मार्गरेट नोबल ने भारत सेवा का प्रण लेकर **भगिनी निवेदिता** नाम प्राप्त किया। 1899 में भयंकर प्लेग महामारी फैली और 1906 में जब बंगाल अकाल और बाढ़ की चपेट में आया तो निवेदिता ने असंख्य भारतवासियों की दिन-रात सेवा की। स्वतंत्रता और सेवा भाव में विश्वास

रखने वाली निवेदिता के पिता भी आयरलैंड की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा के रूप में उनके कोलकाता के बाग बाज़ारवाले छोटे से घर ने बड़ी भूमिका निभाई।

इस 'सेवा की कुटिया' में विद्वान, साहित्यकार, क्रांतिकारी, नेता, समाजसेवी आदि सभी आते थे। अपने बालिका विद्यालय में सब जातियों की लड़कियों के मन में शिक्षा की अलख जगाकर, देश को आज़ादी के मार्ग पर अग्रसर किया। 'बंग-भंग विरोधी प्रदर्शन आंदोलन' में भाग लेकर इन्होंने युनिवर्सिटी हॉल में लॉर्ड कर्जन के भाषण का विरोध किया। क्रांतिकारियों के लिए उनके लेख, गान और कविताएँ सदा प्रेरणादायक रहीं ।

कस्तूरबा गाँधी ने मोहनदास करमचंद गाँधी को महात्मा गाँधी बनाने में सहयोग देकर देश को आज़ादी के दृढ़ मार्ग पर अग्रसर किया। उनकी स्वतंत्र सोच ने गांधी को सदा प्रेरित किया। हर आंदोलन के महिला पक्ष की बागडोर कस्तूरबा के ही हाथ में होती थी। कस्तूरबा की जीवंत भागीदारी के कारण ही भारतीय स्त्री समाज इतने बड़े स्तर पर स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सका। बहुत-सी स्त्रियों ने उनके प्रभाव से सादा जीवन जीना शुरू किया। बहुधा औरतों ने अपने मँहगे विदेशी कपड़े और जेवर स्वाधीनता आंदोलन में होम कर दिए।

बसंती देवी चितरंजन दास ने खादी बेचते हुए गिरफ्तारी दी और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। 1932 में हरिजन आंदोलन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी का बढ़चढ़ कर साथ दिया। बनारस में 1905 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में **सरला देवी चौधरानी** ने बंकिमचंद्र के प्रसिद्ध गीत 'वंदे मातरम' को अपनी वाणी दी। समय-समय पर 'भारती' में अपने विचार प्रकाशित कर साहस और स्वतंत्र भाव का परिचय दिया। व्यायाम समिति, वीराष्टमी उत्सव, प्रताप आदित्य उत्सव आदि के माध्यम से बंगाल के नौजवानों में आज़ादी के लिए नया जोश भर दिया। विवाह के उपरांत पंजाब मे 'भारत स्त्री महामंडल' की स्थापना करके उन्होंने देश भर में इसकी गतिविधियों का विस्तार करने का प्रयास किया। उड़ीसा की **सहोइला बाला दास** ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से घर-घर खादी का प्रचार किया। महात्मा गाँधी के विचारों से प्रभावित ब्रिटिश नेवल ऑफिसर की पत्नी मेडलीन ने मीरा बेन बनकर देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव जगा उन्हे स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा।

क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी **दुर्गा भाभी** गांधी जी के समक्ष अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ-साथ भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी मुक्त करवाने की गुज़ारिश लेकर गई थीं। 1930 में रावी के तट

पर बम विस्फोट में पति के शहीद होने के बाद दुर्गा भाभी पूर्ण सपर्पित होकर क्रांति की राह पर चल पड़ी। सांडर्स वध के बाद भाभी ने मेमसाहब बनकर भगतसिंह को लाहौर से बचाकर निकाला। आज़ाद भारत में संसदीय राजनीति से दूरी बनाकर भाभी ने देश सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। **कैप्टन लक्ष्मी सहगल,** आज़ाद हिंद फौज की जुझारू सिपाही थी जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया।

नारौजी बहनें पेरिंबेन, गोशीबेन और **खुर्शीदबेन** ने महात्मा गाँधी से प्रभावित हो खादी पहनना शुरू किया। पेरिंबेन ने 1921 में राष्ट्रीय स्त्री सभा की नींव रखी और 'तिलक स्वराज कोष' के लिए वित्त भी एकत्र किया। 1930 में नमक सत्याग्रह और 1935 में हिंदी प्रचार सभा के विविध कार्यों में उनकी सशक्त भागीदारी सभी भारतीय स्त्रियों के लिए प्रेरणादयी है । गोशीबेन ने अंग्रेजों के विरूद्ध जंग का एलान करते हुए विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किया। पेरिंबेन के साथ मिलकर उन्होंने गांधी सेवा सेना की स्थापना की और सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति तेज़ की। खुर्शीदबेन ने खान अब्दुल गफ़ार खान का सहयोग देते हुए पठान, पीर, मलिक और खान सबमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया। **मिट्ठुबेन, मिट्ठन जे. लाम, रामादेवी चौधरी, अनुसूयाबेन साराबाई, आशादेवी अरण्यकम, शारदाबेन महता, नीलीसेन गुप्ता, माता रामेश्वरी नेहरू** आदि अनेक जानी-मानी महिलाओं ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले आज़ाद देश के सपने को साकार किया।

कमला नेहरू ने राष्ट्र-उत्थान और स्त्रियों के विकास से जुड़ी गतिविधियों में भरपूर योगदान दिया। अपनी खराब सेहत के बावजूद 1931 में इलाहाबाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रभावी बनाने में उन्होंने कोई कोर-कसर न छोड़ी। **प्रभावती देवी, सोफिया खान, सत्यवती देवी, मनीबेन पटेल, राजकुमारी अमृत कौर** आदि असंख्य महिलाओं ने अपने जीवन भर का श्रम स्वाधीनता से जुड़ी गतिविधियों को समर्पित कर दिया। असम की **चंद्रप्रोवा सैकियानी** ने प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं को दरकिनार कर औरतों की आज़ादी और देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारी कार्य किए। वे मानव-मात्र की आज़ादी में पूर्ण विश्वास रखती थीं, इसलिए औरतों के लिए सहानुभूति नहीं समान अधिकार चाहती थीं। समाज-सुधारक होने के साथ-साथ वे एक सहृदय कवयित्री भी थी। 1922 में महात्मा गाँधी के मार्गदर्शन में प्रधानाचार्या के पद को त्याग कर वे पूरी तरह विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से जुड़ गई। असम की औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वे खादी को असम के घर-घर में ले जाने के प्रयासों से पूरी तरह जुड़ गई।

1926 में राज्य स्तर पर महिला समिति का गठन कर, उन्होंने भविष्य में देश और असम की महिलाओं के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया ।

सारोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा, सुभद्राकुमारी चौहान आदि अनेक महिलाओं ने साहित्य, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अमिट योगदान देकर भारतीय नारी को अद्‌भुत आत्मविश्वास से भर दिया। अपने किशोरपन में मन्नु भंडारी जैसे स्वाधीनता आंदोलन की एक गुमनाम सिपाही थी, ऐसी ही सहस्रों ललनाओं के संपूर्ण समर्पण और सहयोग से देश का स्वाधीनता आंदोलन अंततः सफल हो सका।

आदर्श प्रश्न

1. स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं ने किस रूप में योगदान दिया?
2. देश की स्वाधीनता महिलाओं के विकास में कैसे सहायक है?

अंक योजना

उत्तर 1	उत्तर की रूपरेखा		मूल्य बिंदु	अंक
	आंदोलन	प्रारंभ से अंत तक	तथ्यों का विश्लेषण और आंदोलन पर प्रभाव	3+4
	स्वरूप	अखिल भारतीय प्रभाव		
	योगदान	आर्थिक और मानसिक सहायता	सृजन - नए विचार	3
उत्तर 2	**उत्तर की रूपरेखा**		**मूल्य बिंदु**	**अंक**
	महिला-विकास	पूर्व और पश्चात के हालात	स्थितियों में अंतर पहचानते हुए तथ्यों का विश्लेषण	3+4
	स्वाधीनता	योजनाएँ और अनुपालन	स्थिति का ज्ञान	
	परिणाम	सामाजिक, आर्थिक, मानसिक	सृजन - नए विचार	3

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय भवन, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092, भारत
फोन नं. : 011-22509256-57 • वेबसाइट : www.cbse.nic.in